


वर्ष-2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष- 28/03/1989

निरंक



87

82

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम:- श्री रामकरण सिंह 2. वर्तमान धारित पद:- वरिष्ठ सर्वेयर सहायक
3. कार्यालय का नाम:- कार्यालय कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब निर्माण संभाग-दो. म.प्र. पावर ट्रांस. कं.लि., गोविन्दपुरा, भोपाल 4. वर्तमान वेतन:- 23630+4100 ग्रेड पे+महंगाई भत्ता...
5. भविष्य निधि क्रमांक:- 25187807 6. कर्मचारी संख्या:- 90418862 (RKS)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						1	2
1. ग्राम व पोस्ट आफिस पडरिया जिला रीवा (म.प्र.)		3.00 एकड़ कृषि भूमि	5,50,000/-	स्वयं	पैतृक सम्पत्ति	भूमि का उपयोग माता पिता द्वारा किया जाता है।			
2. एच-1 विष्णुपुरी कालोनी हरदा (म.प्र.)	भवन प्लाट साइज 30'X50' निर्मित 1215 वर्ग फीट	---	25,00,000/-	स्वयं	श्री मनोहर कुलकर्णी निवासी हरदा से वर्ष 1998-99 में प्लाट कय कर भवन का निर्माण किया गया।	16,800/-	मंडल से अनुमति एवं LIC से होम फायनेन्स से ऋण लेकर मकान का निर्माण किया गया।		
3. B-25 सिध्दार्थ लेक सिटी रायसेन रोड भोपाल	भवन 33'X45' प्लाट साइज निर्मित 1000+1200 वर्ग फीट (डूफ्लेक्स)	---	65,00,000/-	स्वयं एवं लडके के नाम पुष्पेन्द्र सिंह	श्री विन्धाचल सिंह से वर्ष 2015-2016 क्रय किया गया है।	---	यूनियन बैंक आफ इण्डिया से लोन लेकर क्रय किया गया है।		

हस्ताक्षर
 नाम:- श्री रामकरण सिंह
 पद:- वरिष्ठ सर्वेयर सहायक

- जहां लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) निगम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी, सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।